

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया  
पत्रांक 1384/2-6 दिनांक, देवरिया, दिसम्बर 04 / 2023  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल,  
गोरखपुर ।

विषय :-

जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 सं0-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-908, ग्राम-कोन्हवलियाँ, पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षाँ के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :-


मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1353/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 29.11.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

क0सं0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	2	3
1	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया व मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट 10 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी।	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया व मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-1) ।
2	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत कार्यवाही करेंगे।	विषयगत प्रकरण में बिना स्वीकृति का वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन है। इसमें भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के अन्तर्गत एच-2 केस जारी कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है। भारत सरकार के पत्र सं0-F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा कराने हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है।

भवदीय



(जगदीश आर)


प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 1384/

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक


सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

o/c

## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 30.11.2023 को मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-908, ग्राम कोन्हवलियों पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एप्रोच रोड का उपयोग बिना भारत सरकार की स्वीकृति के गैर वानिकी प्रयोग किया गया है, उक्त वन भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रस्ताव के पूर्ण अभिलेख को परीक्षण किया गया, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक 08.07.2022 को पेट्रोल पम्प संचालित किया गया है। पूर्व में प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 जो प्रभागीय निदेशक व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया तत्समय पेट्रोल पम्प संचालन में नहीं था उसके बाद दिनांक 08.07.2022 को प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन प्रारम्भ किया गया तथा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक 867/शस्त्र-2021 दिनांक 22.04.2021 द्वारा प्राप्त एन0ओ0सी0 के आधार पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है। वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग बिना भारत सरकार के अनुमति के किया गया है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। जिसके क्रम में रेंज केस सं0-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के तहत जारी करते हुए कार्यवाही की गयी जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा ई-3 संख्या-12943/41 दिनांक 01.06.2023 मु0 40,000.00 प्रतिकर की धनराशि जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा करने हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है, जो उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है, परन्तु संरक्षित वन भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

  
(जगदीश ओर)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

(भीम सेन)  
मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

## सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

अपराध वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन  
 200 वन अधिनियम 1927 का धारा 33 का उल्लंघन

पोर्ट नं० ..... दिनांक 14/12/2022 रेंज देवरिया वीट तरकुलवा

रेंज केस नम्बर 36/2022-23 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता च-दशान निवारी S/O स्व- कपिल देव निवारी  
 ग्राम को-हवालिया पी० कंचनपुर थाना तरकुलवा जिले देवरिया
2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता ① स्वयं हरिकेश गौड़ व०र०  
 ② दैनिक श्रमिक सुशीला चौहान
3. कथित अपराध का पूरा विवरण देवरिया लसया मार्ग K.M. 14-15 के मध्य दागी  
 पट्टी के मध्य ग्राम को-हवालिया पी० कंचनपुर थाना तरकुलवा जिले  
 देवरिया में सड़क पट्टी की भूमि  $35 \times 22.86 = 800.1$  वर्ग मीटर  
 संरक्षित भूमि को बिना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना
4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण X
5. कुल हानि का मूल्यांकन राजकीय सम्पत्ति J.N.P.S. N 26° 35' 30.097"  
 E 083° 51' 27.451"
6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान X
7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ महोदय आज दिनांक 14/12/2022 को समग्र  
 लगभग 4:30 P.M. पर प्रातः विकायत के अनुसार देवरिया लसया मार्ग  
 K.M. 13-14 के मध्य दागी पट्टी पर ग्राम को-हवालिया थाना तरकुलवा  
 जिले देवरिया सुशीला चौहान पर पहुँचा तो पाया कि संरक्षित वन भूमि  
 की जमीन  $35 \times 22.86 = 800.1$  वर्ग मी० भूमि को बिना अनुमति का गैर  
 वानिकी प्रयोग किया जाना पाया गया पृष्ठ पार्श्व पर पूरा चला कि सुशीला  
 चौहान के मालिक च-दशान निवारी S/O स्व- कपिल देव निवारी द्वारा वन संरक्षण  
 अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

अतः रिपोर्ट सूचनाएँ एवं अवगत  
 कापीवाही हेतु प्रेषित

हरिकेश गौड़

केस काटने वाले का हस्ताक्षर  
 पद व०र०

बाद प्रस्तुत की जायेगी।

न-द डिप्लोम वन रोजा  
निष्प्रभानुष्ठात लिपेचना कर  
जस आस्था है।

रेन्ज अधिकारी

दिनांक 11-12-2022-20

रेन्ज

प्रभागीय केस नं०

20

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
रेन्ज, देवरिया

रेन्ज अधिकारी

कृपया अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेजें।

~~क्षेत्रीय वन अधिकारी देवरिया की  
पसलत के आधा पट के लक्ष  
सु० ५००००/- वसूल कर प्रभागीय  
करने की पसलत के प्रभागीय निदेशक~~

एच प्रभागीय वनाधिकारी

देवरिया

दिनांक..... 20

सामाजिक वानिकी प्रभाग

अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट  
महोदय  
H.O. केस सं- 36/2022-23 का जॉय रिपोर्ट

इस केस की अन्तिम जॉय में सारा के गई व्यक्त सत्य पति  
गपी अतिपुत्र द्वारा देवरिया जिले में स्थित 14-15 के प्रथम चरण-कोट वलिय पट  
में पसलत के आधा पट के लक्ष सु० 35 X 22.86 = 800.1 वर्ग  
मीटर साक्षित भूक की बिना अनुमति के गैर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए प्रयोग  
1987 का उल्लेख किया है अतिपुत्र के प्रतिपत्न लेने इस लक्ष के लक्ष गपी अतिपुत्र अके  
ले के असाथ सु० 40,000 (चाबिस हजार) प्रतियुक्त कर का भुगतान किया है  
अतः सु० 40,000 प्रतियुक्त प्राप्त कर के लक्ष प्रमाण पत्र के सिफारिश  
की जाती है।

सेवा में

रेन्ज अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट तथा सिफारिश

प्रभागीय सिफारिश  
शा० वन प्रभाग  
देवरिया

R.C.N. 36/2022-23

(सु० प्रमाण पत्र)  
अ व

महोदय,

उक्त केस की जॉय श्री न-द डिप्लोम वन रोजा से गीने से जमीन गपी अतिपुत्र (अतिपुत्र) के  
के असाथ सहमति पत्र के अतिपुत्र से जॉय के एड एनो 12943/41 दिनांक 01-08-2023  
को प्रतिपत्न स्पष्ट सु० 40,000/- (चाबिस हजार) प्राप्त कर किया गया है। अतिपुत्र का अतिपुत्र  
असाथ सहमति पत्र के असाथ है। अतः वन रोजा के जॉय से सहमति पत्र के अतिपुत्र के अतिपुत्र के  
अन्तिम निवेदन की जाती है।

वनराज अधिकारी.....

देवरिया रेन्ज  
के कम्पाउंड किया जाता है और बरामद लकड़ियों को मिलान करने की

के उपरोक्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार यह

केस.....

अनुमति दी जाती है शेष.....

रूपया जिनकी लकड़ियाँ नहीं बरामद हुई हैं।

उसकी श्री.....

से वसूल करके केस ड्राप किया जाता है।

अपराध से सम्बन्धित सामान जो क्रम सं०..... पर अंकित है।

रीलीज जप्त किया जाता है। कम्पाउंड करने के पहले नाजायज जोत की जमीन खाली करवा ली जाय, तथा तदनुसार सर्वेफिकेट रेन्ज  
अफसर दें।

क्षेत्रीय वन अधिकारी देवरिया के उपरोक्त वन अधिकारी की  
पसलत के आधा पट के लक्ष सु० 40,000/-

पसलत के आधा पट के लक्ष सु० 40,000/-

प्रभागीय निदेशक

देवरिया

R. J. Singh  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
देवरिया

दिनांक..... 20

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

E-3 बुक नं० 12943

नं० 41

वन प्रमाणितिकारिका

ए० ए० प्रमाणितिकारिका

दिनांक 01/06/2023

श्री चन्द्रमान तिवारी पुत्र स्व० कृष्ण चंद्र तिवारी पत्नी श्री  
रुपया 10000.00 (चाबीपत्र प्राप्त किया)

बाबत R.C.No - 36/2022-23

दिनांक 01/06/2023

प्रभारकता हस्ताक्षर

पद नाम

हस्ताक्षर प्रमाणित

R. S. Jaiswal

(जगदीश आर)

प्रभारकता निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

देवरिया

## एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच-79) के कि०मी० नं०-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है। जिस पर विभागीय एच-2 केस संख्या-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 को इजरा किया गया है। जिसका प्रतिकर प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा रू० 40,000.00 मात्र की धनराशि ई-3 संख्या-12943 दिनांक 01.06.2023 द्वारा जमा कराकर केस प्रशमित किया गया है।

*R. J. Aash*  
(जगदीश आर)  
प्रभागीय निदेशक  
सामसिजनिक विभाग प्रभागादेवरिया  
देवरिया

जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच-79) के कि०मी० नं०-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रस्तावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग :-

दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना

$$\begin{aligned} \text{उल्लंघन की तिथि} &= 14.05.2022 \\ \text{उल्लंघन की क्षेत्रफल} &= 0.075028 \text{ हे०} \\ \text{इको क्लास एवं हरियाली घनत्व} &= \text{ECO -3, घनत्व- } 0.4 \\ \text{एन०पी०वी० की दर} &= 1228590.00 \text{ रू० / हे०} \\ \text{दण्डात्मक एन०पी०वी०} &= 0.075028 \times 1228590.00 \\ &= 92179.00 \\ \text{ब्याज} &= \frac{92179.00 \times 12 \times 1}{100} = 11061.00 \\ \text{दण्डात्मक एन०पी०पी० + ब्याज} &= 92179.00 + 11061.00 \\ &= 103240.00 \\ \text{देय दण्डात्मक एन०पी०पी०} &= \frac{103240 \times 20}{100} = 20648.00 \end{aligned}$$

*R. Singh*  
(रजिस्ट्री ऑफिसर)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया